छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 2014 (माघ 21, 1935)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 रायपुर-जगदलपुर मार्ग में दुर्घटना होने से अनेक लोगों की मौत होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, अरूण वोरा, लखेश्वर बघेल, सदस्य, जिला बस्तर अंतर्गत ग्रामीण विकास की योजनाओं में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, सदस्य, जिला महासमुंद अंतर्गत मेमरा से चिखली मार्ग में बाघ नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(2) डॉ. खिलावन साहू, सदस्य, सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगरदा में हाईस्कूल का उन्नयन हायर सेकेण्डरी स्कूल में करने,

(3) श्री तोखन साहू, सदस्य, लोरमी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) लोरमी में 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र खोलने,

(ii) ग्राम डिडौरी व नवागांव एवं कंचनपुर व कोषाबाडी के मध्य नाले पर पुल निर्माण करने,

(iii) लोरमी में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने,

(4) श्री लखन देवांगन, सदस्य, कटघोरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जवाली में हाईस्कूल भवन निर्माण करने,

(5) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, जिला राजनांदगांव अंतर्गत -

(i) गहिराभेड़ी-जंगलपुर के मध्य मेन रोड में पुलिया निर्माण करने तथा

(ii) गुण्डरदेही से उमरवही पहुंच मार्ग निर्माण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

4. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 9 - 9 सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

''सभा के सदस्यगण विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-221 के उप नियम (3), 223 के उप नियम (2) तथा 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2014-2015 की अवधि के लिये अपने में से क्रमश: 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

''सभा के सदस्यगण विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम- 234- ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2014-2015 की अवधि के लिये अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन- तीन सदस्य अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

6. वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

रायपुर
दिनांक 9 फरवरी, 2014

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.